कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक/440A लेखा/नि.प./निर्वा./2023 — रायपुर, दिनांक 8/06/2023

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 241/स्था/वि.स.नि./2023/1650 दिनांक 11 मई 2023 द्वारा आगामी विधान सभा निर्वाचन 2023 के अतिरिक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 30.11.2023 तक के लिए निम्नानुसार अस्थाई पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त अवधि व्यतीत होते ही यह पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन (सामान्य निर्वाचन) कक्ष क्रमांक –09 रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के पते पर दिनांक 28.06.2023 सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है:–

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तयों की वर्गवार संख्या				रिक्त योग	कुल रिक्तयों की वर्गवार संख्या मे से महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तयों की वर्गवार संख्या मे से भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षित				कुल रिक्तयों मे से दिव्यांग जनो के लिए आरक्षित	वेतन मेट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सहायक ग्रेड–3	4	1	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	रु. 14200 एकमुश्त प्रति माह (सातवें वेतनमान के मान से मैट्रिक लेवल 4)
2	भृत्य	7	2	1	1	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	कलेक्टर दर पर रु. 10480.00 एकमुश्त प्रति माह

विज्ञापन की विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट www.raipur.gov.in में अपलोड एवं जिला कार्यालय रायपुर के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/440A/ लेखा/नि.प./निर्वा./2023 — रायपुर, दिनांक 8/06/2023

प्रतिलिपिः–

1. उप संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय, रायपुर जिला रायपुर को स्थानीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा रायपुर की ओर जिला कार्यालय के सूचना पटल में प्रकाशित कराये जाने हेतु संलग्न प्रेषित है ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 को जिले के वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

//रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन//

क्रमांक/437A/लेखा/नि.प./निर्वा./2023 रायपुर, दिनांक 8/06/2023

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 241/रथा/वि.स.नि./2023/1650 दिनांक 11 मई 2023 द्वारा आगामी विधान सभा निर्वाचन 2023 के अतिरिक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 30.11.2023 तक के लिए निम्नानुसार अस्थाई पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त अवधि व्यतीत होते ही यह पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन (सामान्य निर्वाचन) कक्ष क्रमांक –09 रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के पते पर दिनांक 28.06.2023 सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है:–

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तयों की वर्गवार संख्या				रिक्त योग	कुल रिक्तयों की वर्गवार संख्या मे से महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तयों की वर्गवार संख्या मे से भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षित				कुल रिक्तयों मे से दिव्यांग जनो के लिए आरक्षित	वेतन मेट्रिक्स
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सहायक ग्रेड–3	4	1	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	रु. 14200 एकमुश्त प्रति माह (सातवें वेतनमान के मान से मैट्रिक लेवल 4)
2	भृत्य	7	2	1	1	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	कलेक्टर दर पर रु. 10480.00 एकमुश्त प्रति माह

विज्ञापन के विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईड www.raipur.gov.in में अपलोड एवं जिला कार्यालय रायपुर के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

(A) सहायक ग्रेड–3 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएं :–

1. मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।

   अथवा

   पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

   तथा
3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाइपिंग लेखन में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) ।
4. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छ.ग. शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्युटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) का प्रमाण पत्र ।

टीपः– छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 9–4/2025/1/3 दिनांक 23.01.2015 के अनुसार सहायक ग्रेड–3 के पदो पर नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर संबंधी अर्हता हेतु छ.ग.शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है :–

(1) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

(2) मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)

(3) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।

(4) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

(D) चतुर्थ श्रेणी भृत्य पद हेतु शैक्षणिक योग्यता:–

1. मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से कक्षा 5वी0 उत्तीर्ण। जिन आवेदकों द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा पांचवी उत्तीर्ण की अंकसूची के साथ आवेदन करेगा उसे नोटरी द्वारा सत्यापित 50/–रू. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा पांचवी उत्तीर्ण करने के पूर्व के वर्षो में किसी भी बोर्ड/संस्था से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण नहीं की गयी है। कार्यालय के संज्ञान में आने पर तथा जांच में इसकी पुष्टि होने पर कि पूर्व के वर्षो में कक्षा पांचवी उत्तीर्ण होते हुये भी केवल नियुक्ति पाने के प्रयोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र कक्षा पांचवी उत्तीर्ण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन पत्र अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

शैक्षणिक योग्यता के ग्रेडेशन के संबंध में स्पष्टीकरण :– जिन आवेदकों को छ.ग. शिक्षा विभाग/बोर्ड द्वारा शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया गया है ऐसे आवेदको को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा तथा ग्रेड से प्रतिशत की गणना नीचे दर्शाए अनुसार की जावेगी :–

कमांक	ग्रेड	अंको का प्रतिशत	अंकित ग्रेड का निर्धारित प्रतिशत
1	A+	91 से 100	95 प्रतिशत
2	A	81 से 90	85 प्रतिशत
3	B	66 से 80	73 प्रतिशत
4	C	51 से 65	58 प्रतिशत
5	D	36 से 50	43 प्रतिशत

विज्ञप्ति पदो के संबंध में नियम एवं शर्ते :–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. यह विज्ञापन विभागीय भर्ती नियमों के अध्यधीन होगी।
3. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल. पी. (सी.) कमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. द्वारा उक्त संबंध में पारित आदेशो के अध्यधीन होगी।
4. आयु सीमा :–

(1) दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिये।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/ए 3–1/2016/1–3/नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष छूट की पात्रता होगी ।

(3) छत्तीसगढ़ के विधवा, परित्यकता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट की पात्रता होगी ।

(4) यदि अभ्यिर्थी छ.ग.शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के है तथा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पात्रता होगी।

(5) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चत्तर आयु सीमा 38 वर्ष होगी ।

(6) छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/ए 3–2/2002/1–3/नया रायपुर, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु

निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है ।

(7) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट दी जाएंगी ।

(8) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातिय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग पति/पत्नि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक/सी 3/10/85/3/1/, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चत्तर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(9) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान,महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(10) ऐसे अभ्यथी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु मे से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो । छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक/एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3/ दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

(11) छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/650/209/2022/एम 3/2002/ दिनांक 07.04.2022 एवं /एफ 3-2/2002/1/3/नया रायपुर, दिनांक 10.02.2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों /पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/ पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक होगी ।

टीपः-सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(5.). नियम एवं शर्ते :-

(1) आरक्षित वर्ग -अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2) प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन करना होगा ।

(3) आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(4) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा, जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

(5) आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना आवश्यक है।

(6) केवल ऐसे दिव्यांग आवेदक सेवाओं/पदो में आरक्षण के लिए पात्र होगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो तथा आवेदन पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(7) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ सेना द्वारा प्रदत्त डिस्जार्च सर्टिफिकट जो स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है उन्हें अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(9) आवेदक आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर ले। शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। चयन एवं नियुक्ति की प्रकिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाए जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी ।

(10) विज्ञापित पदो में कमी या वृद्धि हो सकती है।

(11) उपरोक्त पदो पर चयन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगें। राज्य में सीधी भर्ती

के पदों के लिये लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किए गए नियम/निर्देश लागू होंगें ।

(12) आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व का होना आवश्यक है, तथा आवेदन करने के बाद किसी प्रकार के प्रमाण पत्र संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी ।

(13) यह नियुक्तियॉं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 से शासित होगी।

(14) आवेदन पत्र पर नियत स्थान पर नाम व दिनांक युक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज की फोटो होगा।

(15) आवेदक द्वारा जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, केवल उसी पद में कार्य करने का अनुभव मान्य किया जावेगा ।

(16) यह विज्ञापन बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

(17) विज्ञापन/आवेदन का के नियम एवं शर्ते प्रारूप कार्यालय कलेक्टर के सूचना फलक पर एवं रायपुर जिले के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है। इस हेतु पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

(18) उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में वर्गवार कमी अथवा वृद्धि परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की जा सकेगी।

(19). आवेदक विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरुप अपनी अर्हता की जॉच स्वयं सुनिश्चित कर ले एवं अर्हता की समस्त शर्तो को पूर्ण करने की स्थिति से पूर्णता संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

(20). चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(21) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन-पत्रों के संबंध में अलग कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

(22) निर्धारित कौशल परीक्षा के समय अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं अन्य वांछित अर्हताओं के संबंध में दस्तावेज के मूल प्रति के साथ-साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति की 01 प्रति लेकर आना अनिवार्य होगा। (मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय का शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र दिव्यांग होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र इत्यादि)।

(23) प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जावेगा। संयुक्त आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।

(24) किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का सम्पूर्ण अधिकार नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अर्थात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर को होगा।

(25) विज्ञापन संबंधित समस्त जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिले के अधिकारिक वेबसाईड www.raipur.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है।

(26) आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले की उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि परीक्षा के किसी भी चरण मे अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विहित अर्हता नहीं रखता अथवा पात्रता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा, इस संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(6). चयन प्रकियाः-

(1) <u>सहायक ग्रेड 03</u>

(अ) आवेदको को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 12वी कक्षा के प्राप्तांको के 60% भारांश अंक एवं अनुभव के 05 अंक के आधार पर वरीयता सूची मे से प्रवर्गवार रिक्त पदो की संख्या के 1:10 अनुपात में (01 पद के विरूद्ध उस प्रवर्ग के 10 आवेदकों को) दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा, तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने एवं दस्तावेज सही पाये जाने पर कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(ब) आवेदक द्वारा जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, केवल उसी पद में निर्वाचन संबंधी कार्य करने का अनुभव (विधानसभा/लोकसभा) मान्य किया जावेगा। अनुभव के लिये निम्नानुसार अंक निर्धारित है :-

(1) 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम के लिये	01 अंक
(2) 2 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम के लिये	02 अंक
(3) 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम के लिये	03 अंक
(4) 4 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम के लिये	04 अंक

(5) 5 वर्ष या उससे अधिक लिये 05 अंक

05 वर्ष से अधिक अनुभव के लिये किसी प्रकार अतिरिक्त अंक नहीं दिया जावेगा, अर्थात अनुभव के लिये अधिकतम 05 (पांच) ही मान्य किया जावेगा ।

(स) कौशल परीक्षा 35 अंक का होगा। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिये सामान्य वर्ग के आवेदको को कम से कम 50% (17.5 अंक) तथा आरक्षित वर्ग (अ.जा./अ.जा.जा./अ.पि.व.) के आवेदकों को 40% (14 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले कौशल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे तथा अंतिम वरीयता सूची में उन्हें शामिल नहीं किया जावेगा।

(द) कक्षा 12वी शैक्षणिक योग्यता का 60 प्रतिशत भारांश अंक,अनुभव के 5 अंक एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के योगसे प्रवर्गवार प्रवीण्यता सूची के आधार पर, दस्तावेज सत्यापन पश्चात चयन किया जावेगा।

(4) भृत्य

(अ) आवेदको को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 5वी कक्षा के प्राप्तांको के 60% भापंश अंक एवं अनुभव के 05 अंक के आधार पर वरीयता सूची मे से प्रवर्गवार रिक्त पदो की संख्या के 1:10 अनुपात में (01पद के विरूद्ध उस प्रवर्ग के 10 आवेदकों को) दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा, तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने एवं दस्तावेज सहीं पाये जाने पर वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।

(ब) आवेदक द्वारा जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, केवल उसी पद में निर्वाचन संबंधी कार्य करने का अनुभव (विधानसभा/लोकसभा) मान्य किया जावेगा । अनुभव के लिये निम्नानुससार अंक निर्धारित है :–

(1) 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम के लिये	01 अंक
(2) 2 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम के लिये	02 अंक
(3) 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम के लिये	03 अंक
(4) 4 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम के लिये	04 अंक
(5) 5 वर्ष या उससे अधिक लिये	05 अंक

05 वर्ष से अधिक अनुभव के लिये किसी प्रकार अतिरिक्त अंक नहीं दिया जावेगा, अर्थात अनुभव के लिये अधिकतम 05 (पांच) ही मान्य किया जावेगा ।

(स) वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा 35 अंक का होगा। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिये सामान्य वर्ग के आवेदको को कम से कम 50%(17.5 अंक) तथा आरक्षित वर्ग (अ.जा./अ.जा.जा./अ.पि.व.) के आवेदकों को 40%(14 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे तथा अंतिम वरीयता सूची में उन्हें शामिल नहीं किया जावेगा ।

(द) कक्षा 5 वी. शैक्षणिक योग्यता का 50प्रतिशत अनुभव के 5 अंक एवं वैकल्पिक परीक्षा के प्राप्तांक अंक के योग से प्रवर्गवार प्रवीण्यता सूची के आधार पर, दस्तावेज सत्यापन पश्चात चयन किया जावेगा ।

(27). समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यार्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी। यदि अंक एवं उम्र दोनो समान है तो उस अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा जिसने वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किया हो ।

(28). लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक आना जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(29). शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता की अंकसूची/प्रमाण पत्र (निवास/जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।

(30) चयनित अभ्यार्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7). <u>अनर्हता:–</u>

छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(क) कोई भी पुरूष अभ्यार्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यार्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगा।

(ख) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे एसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारिरीक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

(ग) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(घ) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(31). आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन स्वयं सुनिश्चित कर लें, कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(8). विशेष टीप :–

(01) प्रतीक्षा सूची घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 03 माह के लिए वैध होगी।

(02) अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

(03) विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व विविध प्रवर्गों–अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित व जारी किये गए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देशों, नियमों व शर्तों का पालन किया जावेगा।

(04) भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

(05) उपरोक्त पद हेतु विहित अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जारी संविदा दर एवं कलेक्टर दर देय होगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक का पूरा नाम हिन्दी :– ....
   अंग्रेजी :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. लिंग (महिला/पुरूष/अन्य) :– ....
5. जन्मतिथि अंको में :– दिन .... माह .... वर्ष ....
6. शब्दों में :– ....
7. आयु (01.01.2023 की स्थिति में) :– दिन .... माह .... वर्ष ....
8. जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व/ अना. का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें) :– ....
9. पत्र व्यवहार का पता :– ....
   ....
10. स्थायी पता :– ....
    ....
11. दूरभाष/ मोबाईल नंबर :– ....
12. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवास है। (हॉ/नहीं) :– ....
13. शैक्षणिक योग्यता :– **(प्रत्येक का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें)**

क्र.	परीक्षा का नाम	विषय	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

14. निर्वाचन कार्य का अनुभव (हॉ/नही) :– ....
(नियोक्ता का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

स.क	कार्यालय का नाम	नियुक्ति दिनांक	कब तक	अनुभव वर्ष में

15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक एवं दिनांक :– ....

16. क्या आवेदिका विधवा, परित्यकता तथा तलाकशुदा है/नहीं :– ....

17. यदि उम्मीद्वार विवाहित है, तो विवाह की तिथि :– ....

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची जो स्वयं द्वारा सत्यापित हो

1 .... 2 ....
3 .... 4 ....
5 .... 6 ....
7 .... 8 ....
9 .... 10 ....
11 .... 12 ....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

//घोषणा पत्र//

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित जानकारी पूर्णतः सत्य है, कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा चयन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा जो मुझे मान्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : ....
दिनांक : ....

नाम ....

पता ....